

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2013 ई0

संख्या 220/XXVII(9)/2013/स्टाम्प-40/2012-श्री राज्यपाल महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अखिल गढ़वाल सभा, देहरादून को नगर निगम, देहरादून द्वारा ग्राम इन्दरपुर, नवादा में सामुदायिक मिलन केन्द्र तथा पुस्तकालय निर्माण के लिये प्रदान की गयी एक एकड़ भूमि (खसरा नं0-38 मि0) पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

भास्करानन्द,

सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 04-01-2014, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 वित्त/94-15-01-2014-100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।